

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *368
TO BE ANSWERED ON 06.04.2022

DISABILITY RIGHTS

***368. DR. L. HANUMANTHAIAH:**

Will the Minister of Social Justice and Empowerment be pleased to state:

- (a) the reasons why Government has not yet allocated a specific amount toward the needs of disabled women as guaranteed under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;
- (b) whether Government intends to increase the pension support to PwDs in light of representations that the current pension is insufficient;
- (c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;
- (d) the reasons why Government continues to keep pensions level low despite inflation and rising unemployment; and
- (e) the status of the Government's Accessible India Campaign and whether any portion of the budget has been allotted to it?

ANSWER

MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DR. VIRENDRA KUMAR)

- (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to part (a) to (e) of the Rajya Sabha Starred Question No. 368 raised by Dr. L. Hanumanthaiah regarding “Disability Rights” for answer on 06.04.2022.

(a) Relief to the disabled is a State subject by virtue of entry 9 of the State List of the Constitution of India. Further, the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, mandates the appropriate Government and local authorities to take measure to ensure that women and children with disabilities enjoy their rights equally with others. Further, Section 37 of the said Act provides 5% reservation in allotment of agriculture land and housing as well as in all poverty alleviation and developmental schemes for persons with benchmark disabilities with priority to women with benchmark disabilities. The Act does not specifically laid down any mandatory provision for separate allocation of funds for women with disabilities.

(b) to (d) Section 24 of the above Act mandates the appropriate Government within the limit of its economic capacity and development to formulate schemes and programmes towards social security of persons with disabilities (PwDs), *inter-alia*, including disability pension to PwDs belonging to lower income group.

Ministry of Rural development has informed that the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) is a component of National Social Assistance Programme (NSAP), a 100% centrally funded centrally sponsored scheme. Under IGNDPS, central assistance @Rs. 300/- per month per beneficiary is provided to persons aged 18-79 years with multiple or severe disability (disability level 80% or more) belonging to Below Poverty Line (BPL) families. The amount of central assistance is increased to Rs. 500/- per month in respect of these beneficiaries on reaching the age of 80 years. There is no proposal to increase the central assistance under NSAP. The States/UTs are, however, encouraged to provide top-ups over and above the central assistance under the NSAP. Presently, these amounts range from Rs. 0 to Rs. 2700 per month per beneficiary. Further, the Central Advisory Board (CAB) on disability in its third meeting held on 19.09.2019 urged the States/UTs to increase the quantum of disability pension so as to enable them meet their basic needs.

(e) The Accessible India Campaign (AIC) is a nation-wide flagship campaign launched on 03.12.2015 with the vision of creating a barrier free environment for safe, independent and dignified living of Persons with Disabilities (PwDs). The Campaign is implemented across three verticals, namely the Built-Up Environment, Transportation System and Information and Communication Technology (ICT) ecosystem.

The details of objectives and status of the campaign is at **Annexure**. No separate budget is allocated for Accessible India Campaign as it is a sub scheme under the Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act (SIPDA), so the funds are released under this scheme.

Annexure referred to in reply to part (e) of the Rajya Sabha Admitted Starred Question No. 368 raised by Dr. L. Hanumanthaiah for answer on 06.04.2022 regarding “Disability Rights”

Details of targets and the progress thereof under the Accessible India Campaign

SI No	Target	Status
1	<p>Target of enhancing the proportion of Accessible Government Buildings:</p> <p>Target 1.1 : Completing accessibility audit of at least 25-50 most important government buildings in 50 cities and making them fully accessible by June, 2022;</p> <p>Target 1.2 : Making 50% of all the government buildings of the National Capital and all the State Capitals fully accessible by June, 2022;</p> <p>Target 1.3: Completing accessibility audit of 50% of government buildings and making them fully accessible in 10 most important cities/towns of states not covered in targets 1.1 and 1.2 by June, 2022</p>	<p>For Target (1.1) – State Government buildings</p> <p>In the State Governments / UTs, auditors completed Access Audit of 1671 buildings in 48 cities. 1671 access audit reports have been submitted to the State’s/UTs Nodal Officers. Further, 20 States/UTs reported to have completed retrofitting work in 577 buildings.</p> <p>For Target 1.2 and 1.3</p> <p>7 States/UTs have informed that 2839 State Government buildings have been selected to be made accessible under Targets/Phases (1.2) and (1.3) from their own funds.</p> <p>For Central Government building under the targets of built up environment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The financial proposals for retrofitting of 1484 buildings have been received so far. Sanction has been issued by the Department in respect 1314 buildings amounting to Rs. 553.59 Crore as on 31.03.2022. • In the Central Government, CPWD reported completion of retrofitting in 1030 out of selected 1100 Central Government buildings targeted under Accessible India Campaign in FY 2020-21.
2	<p>Target of enhancing the proportion of Accessible Transport System [Airports, Railway Stations and Public Transport Carriers (Buses)].</p> <p>Target 2.1 and 2.2 - Airports: All international airports and domestic airports to be made fully accessible.</p>	<p>All 35 international airports & 55 out of 69 domestic airports provided with accessibility features (ramps, accessible toilets, helpdesks and lifts with Braille and auditory information systems), Further, all international/customs airport are reported to have been provided with aerobridges.</p> <p>Tactile path has been provided at majority of the airports whereas 41 airports have been equipped with aerobridges and ambulifts are available at 12 airports and the same is being procured for other airports.</p> <p>Bureau of Civil Aviation Security has also</p>

		<p>issued an advisory to make seamless screening of Divyangjan at airports. In this regard, CISF has also revised their SoPs, stressing upon the need to improve soft skills to provide better journey experience.</p> <p>The accessibility standards have been formulated by the Ministry of Civil Aviation. The process of conducting public consultation is underway.</p>
3	<p>Target 3.1 and 3.2 - Railways: A1, A & B categories of railway stations to be made fully accessible; 50% of all railway stations to be made fully accessible;</p>	<p>All 709 A1, A & B category railway stations have been provided with the seven (07) Short-Term Facilities identified by Ministry of Railways, namely, ramps, two parking lots for Divyangjan, non-slippery walkways from parking to station building, signage, at least one drinking water tap, one accessible toilet and 'May I Help You' booth.</p> <p>603 railway stations have been provided with additional two (02) Long-Term Facilities namely, Provision of facility of inter platform transfer & Engraving on edges (tactile indicators) of platform</p>
4	<p>Target 4.1 - Buses: 25% of Government owned public transport carriers are to be made fully accessible.</p>	<p>MoRTH reported that in FY 2020-21, out of 1,47,152 buses, 44153 (30.01%) buses are partially accessible and 8443 (8.73%) buses are fully accessible.</p>
5	<p>Target of enhancing the portion of accessible government websites; pool of sign language interpreters; captioning and sign language interpretation of public television news programmes.</p> <p>Target 5.1 and 5.2 - Websites: At least 50% of Central and State Government websites are to meet accessibility standards:</p>	<p>Department has sanctioned Rs.26.19 Cr. to ERNET India to make 917 States/UTs websites accessible, out of which, Rs.23.52 Cr. has been disbursed. Total 603 State Governments websites have been made accessible including 459 websites made live.</p> <p>95 websites of Central Government Ministries/ Departments are made accessible by MeitY under the Content Management Framework.</p>
6	<p>Target 6.1 – Sign Language Interpreters Training and Developing 200 additional sign language interpreters:</p>	<p>The Government has established Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC) as a Society under the Societies Registration Act, 1860, in September 2015. The main objective of the Centre is to develop manpower for using, teaching and conducting research in Indian Sign Language.</p> <p>ISLRTC has informed that more than 1000 persons have been trained in Indian sign</p>

		<p>language through Diploma and Short Term Courses of ISLRTC.</p> <p>Total 93 students have completed Diploma in Indian Sign Language Interpretation (DISLI) course in three academic sessions during 2016-17 to 2018-19. ISLRTC is currently running one batch of DISLI for the academic year 2019-21.</p>
7	<p>Target 7.1 and 7.2 – T.V Viewing:</p> <p>(a) Public television news – National standards on captioning and sign language interpretation are to be created and adopted;</p> <p>(b) At least 25% of public television programs on government channels are to comply with the set standards</p>	<p>Accessibility standards for accessible TV viewing by persons with hearing impairment have already been issued by Ministry of Information and Broadcasting (MoIB) for providing for sub-titling, sign language interpretation along with accessibility for televisions sets, remote controls, equipment and internet content.</p> <p>Accessible content on TV is also being enhanced in a phased manner and so far 19 private news channels are telecasting partially accessible news bulletin, 2447 news bulletins have been telecast with subtitling/sign-language interpretation and more than 3686 scheduled programs/movies using subtitling have been telecast by general entertainment channels.</p>

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *368
उत्तर देने की तारीख : 06.04.2022

निशक्तता अधिकार

*368. डा. एल. हनुमंतय्या :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कारण है कि सरकार ने निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार निशक्त महिलाओं की आवश्यकताओं के संबंध में अब तक विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की है;
- (ख) क्या सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान पेंशन अपर्याप्त है, निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन सहायता बढ़ाने की मंशा रखती है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) मंहगाई और बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद सरकार के पेंशन स्तर को लगातार कम रखने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) सरकार के सुगम्य भारत अभियान की स्थिति क्या है और क्या बजट का कोई हिस्सा इसके लिए आवंटित किया गया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

दिनांक 06.04.2022 को उत्तरार्थ " निशक्तता अधिकार" के बारे में डा. एल. हनुमंतय्या द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 368 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना भारत के संविधान की राज्य सूची के प्रविष्टि 9 के आधार पर राज्य का विषय है। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016, समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का आदेश देता है कि महिलाएं और दिव्यांग बच्चे दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 37 कृषि भूमि और आवास के आबंटन के साथ-साथ बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए सभी गरीबी उपशमन और विकासात्मक योजनाओं में बेंचमार्क दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 5% आरक्षण प्रदान करती है। इस अधिनियम में दिव्यांग महिलाओं के लिए निधियों के अलग से आबंटन के लिए कोई अनिवार्य उपबंध विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ): उपर्युक्त अधिनियम की धारा 24 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न आय वर्ग के दिव्यांगजनों को दिव्यांगता पेंशन सहित दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उपयुक्त सरकार को अधिदेशित किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है, जो 100% केंद्रीय वित्त पोषित केंद्रीय प्रायोजित योजना है। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत बहु और गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त (दिव्यांगता स्तर 80% या उससे अधिक) गरीबी की रेखा से नीचे रहने (बीपीएल) वाले परिवारों के 18-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति लाभार्थी @ 300/- रुपये प्रति माह की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर इन लाभार्थियों के संबंध में केंद्रीय सहायता की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया जाता है। एनएसएपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, ये राशियां 0 रुपये से लेकर 2700 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी तक हैं।

इसके अलावा, दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) ने 19.09.2019 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दिव्यांगता पेंशन की मात्रा बढ़ाने का आग्रह किया ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

(ड): सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है जिसे दिनांक 03.12.2015 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के सुरक्षित, स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक बाधामुक्त वातावरण बनाने के विज्ञान के साथ किया गया था। अभियान को तीन वर्टिकल अर्थात् अंतर्निहित पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में लागू किया गया है।

अभियान के उद्देश्यों और स्थिति का व्यौरा अनुबंध में दिया गया है। सुगम्य भारत अभियान के लिए कोई अलग बजट आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत एक उप योजना है, इसलिए इस योजना के तहत निधियां जारी की जाती है।

दिनांक 06.04.2022 को उत्तरार्थ " निशक्तता अधिकार" के बारे में डा. एल. हनुमंतय्या द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 368 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

सुगम्य भारत अभियान के तहत लक्ष्य और उनकी प्रगति का विवरण ।

क्र. सं.	लक्ष्य	स्थिति
1	<p>सुगम्य सरकारी भवनों के अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य:</p> <p>लक्ष्य 1.1 : 50 शहरों में कम से कम 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और जून, 2022 तक उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना;</p> <p>लक्ष्य 1.2 : जून, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी 50% सरकारी भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाना;</p> <p>लक्ष्य 1.3: 50% सरकारी भवनों के सुगम्यता ऑडिट को पूरा करना और जून, 2022 तक लक्ष्य 1.1 और 1.2 में शामिल नहीं किए गए राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों / कस्बों में उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।</p>	<p>लक्ष्य(1.1) के लिए - राज्य सरकार के भवन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में लेखा परीक्षकों ने 48 शहरों में 1671 भवनों के सुगम्यता ऑडिट को पूरा कर लिया है। 1671 सुगम्यता ऑडिट रिपोर्टें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों को प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 577 भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा करने की सूचना दी है।</p> <p>लक्ष्य 1.2 और 1.3 के लिए 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के 2839 भवनों को उनकी अपनी निधियों से लक्ष्यों/चरणों (1.2) और (1.3) के अंतर्गत सुगम्य बनाने के लिए चुना गया है।</p> <p>निर्मित वातावरण के लक्ष्यों के तहत केंद्र सरकार के भवन के लिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> अब तक 1484 भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 1314 भवनों के संबंध में 553.59 करोड़ रुपए की राशि हेतु स्वीकृति जारी की गई है। केंद्र सरकार में, सीपीडब्ल्यूडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में सुगम्य भारत अभियान के तहत लक्षित केंद्र सरकार के चयनित 1100 भवनों में से 1030 में रेट्रोफिटिंग के पूरा होने की सूचना दी।
2	<p>सुगम्य परिवहन प्रणाली [हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन वाहकों (बसों)] के अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य</p> <p>लक्ष्य 2.1 और 2.2 - हवाई अड्डे:</p>	<ul style="list-style-type: none"> सभी 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 को सुगम्यता की सुविधाएं (रैंप, सुगम्य शौचालय, हेल्पडेस्क और ब्रेल एवं श्रवण (ऑडिटरी) सूचना प्रणालियों के साथ लिफ्ट) के साथ प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, सभी अंतर्राष्ट्रीय/सीमा शुल्क (कस्टम) हवाई अड्डों को एयरोब्रिज प्रदान किए जाने की सूचना

	<p>सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाएगा।</p>	<p>है।</p> <ul style="list-style-type: none"> अधिकांश हवाई अड्डों पर स्पर्श(टैक्टाइल) पथ प्रदान किया गया है जबकि 41 हवाई अड्डों को एयरोब्रिज से सुसज्जित किया गया है और 12 हवाई अड्डों पर एम्बूलिफ्ट उपलब्ध हैं और इसे अन्य हवाई अड्डों के लिए खरीदा जा रहा है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों की निर्बाध जांच (स्क्रीनिंग) करने के लिए एक एडवाईज़री पत्र भी जारी किया है। इस संबंध में, सीआईएसएफ ने बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स(व्यावहारिक कौशल) में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपने एसओपी को भी संशोधित किया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सुगम्यता मानक तैयार किए गए हैं। सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।
<p>3</p>	<p>लक्ष्य 3.1 और 3.2 - रेलवे : रेलवे स्टेशनों की ए 1, ए और बी श्रेणियों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाएगा; सभी 50% रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाएगा;</p>	<ul style="list-style-type: none"> सभी 709 ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित की गई सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं, अर्थात्, रैंप, दिव्यांगजनों के लिए दो पार्किंग लॉट, पार्किंग से स्टेशन बिल्डिंग तक गैर-फिसलन वाले वॉकवे, साइनेज, पीने के पानी का कम से कम एक नल, एक सुगम्य शौचालय और 'मे आई हेल्प यू' बूथ प्रदान की गई हैं। 603 रेलवे स्टेशनों को दीर्घावधि की अतिरिक्त दो (02) सुविधाएं अर्थात् अंतर-प्लेटफार्म अंतरण और प्लेटफार्म के किनारों (स्पर्श (टैक्टाइल) संकेतकों) पर उत्कीर्णन की सुविधा का प्रावधान, प्रदान की गई हैं।
<p>4</p>	<p>लक्ष्य 4.1 - बसें: सरकार के स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन वाहकों के को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> एमओआरटीएच ने सूचित किया कि वित्त वर्ष 2020-21 में, 1,47,152 बसों में से, 44153 (30.01%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं और 8443 (8.73%) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं।
<p>5</p>	<p>सुगम्य सरकारी वेबसाइटों के भाग को बढ़ाने; सांकेतिक भाषा दुभाषियों का पूल; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा के इंटरप्रिटेशन का लक्ष्य।</p>	<ul style="list-style-type: none"> विभाग ने 917 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए ईरनेट इंडिया को 26.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 23.52 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। 459 वेबसाइटों को लाइव बनाने के साथ ही कुल 603 राज्य सरकारों की

	<p>लक्ष्य 5.1 और 5.2 -</p> <p>वेबसाइटें: केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50% वेबसाइटों की सुगम्यता के मानकों को पूरा करना है।</p>	<p>वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> विषय वस्तु प्रबंधन ढांचे (कंटेन्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क) के तहत एमईआईटीवाई द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की 95 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।
6	<p>लक्ष्य 6.1 – सांकेतिक भाषा दुभाषियों का प्रशिक्षण और 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा दुभाषियों को तैयार करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> सरकार ने सितंबर 2015 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना की है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान का आयोजन करने के लिए जनशक्ति का विकास करना है। आईएसएलआरटीसी ने सूचित किया है कि आईएसएलआरटीसी के डिप्लोमा और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक व्यक्तियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया है। कुल 93 छात्रों ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान तीन अकादमिक सत्रों में डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) पाठ्यक्रम में डिप्लोमा पूरा किया है। आईएसएलआरटीसी वर्तमान में अकादमिक वर्ष 2019-21 के लिए डीआईएसएलआई का एक बैच चला रहा है।
7	<p>लक्ष्य 7.1 और 7.2- टी.वी. देखना:</p> <p>(क) सार्वजनिक टेलीविजन समाचार – कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन पर राष्ट्रीय मानकों का सृजन किया जाना है और उसे अपनाया जाना है;</p> <p>(ख) सरकारी चैनलों पर कम से कम 25% सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाना है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा सुगम्य रूप से टीवी देखने के लिए टेलीविजन सेटों, रिमोट कंट्रोलों, उपकरण और इंटरनेट कंटेंट की सुगम्यता के साथ-साथ सब-टाइटलिंग, सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन प्रदान करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) द्वारा पहले से ही सुगम्यता मानक जारी किए जा चुके हैं। टीवी पर सुगम्य सामग्री (कंटेंट) को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है और अब तक 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रहे हैं, 2447 समाचार बुलेटिनों को सब-टाइटलिंग/साइन-लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ प्रसारित किया गया है और सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा सब-टाइटलिंग का उपयोग करके 3686 से अधिक शेड्यूल्ड प्रोग्राम/फिल्मों का प्रसारण किया गया है।

DR. L. HANUMANTHAIHAH: Sir, the total number of physically handicapped persons in the country is 2.8 crore, which is 2.2 per cent of the population. I had asked for the pension to be given to them. Only 3.8 per cent of the total population is being covered under pension. Why are all the physically handicapped persons not being given pension? That is my question.

डा. वीरेंद्र कुमार : उपसभापति महोदय ,माननीय सदस्य के द्वारा पेंशन सम्बन्धी जो प्रश्न उठाया गया है ,केन्द्र सरकार की ओर से ग्रामीणविकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने का प्रावधान है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जितने भी दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण होने के बाद , पेंशन के लिए apply किया जाता है ,उनको ग्रामीणविकास मंत्रालय के द्वारा पेंशन देने का काम निरन्तरता के साथ जारी है।

DR. L. HANUMANTHAIHAH: Sir, the Central Government is giving only Rs.300 as pension, which is very much insufficient as everybody knows in this House. Only two States in the country are giving, at least, reasonable pension. One is Telangana, which gives Rs.3,160, and another one is Delhi, which gives Rs.2,500. I want a direction from the Central Government to all the States to pay, at least, Rs.2,000 as pension to differently-abled persons.

Secondly, I want to request the Government of India to have a survey of those who want pension and those who are eligible for pension, and all those people should be given a minimum pension of Rs.2,000 across the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, are both these points your suggestions or questions?

DR. L. HANUMANTHAIHAH: Yes, these are my questions.

डा. वीरेंद्र कुमार : माननीय उपसभापति महोदय, दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन को top up करने की राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं और अनेक राज्य सरकारों के द्वारा इसमें अलग-अलग तरीके से राशि दी जाती है।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, 1.00 बज चुके हैं, Question Hour खत्म हुआ।